(2)

निर्णय बईजलास रामचरण शर्मा, आर.ए.एस.,न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण सख्याः–34 / 18 दायरा 22.05.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड
प्रार्थी......................

बनाम

1. भुवनेश पोरवाल आ0 मदनलाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स भुवनेश प्रोविजन एण्ड कोल्डड्रिक्स रायपुर।
2. शंकरलाल आ0 डोलूमल बीएचए 32 आदर्श नगर दादाबाड़ी कोटा 324009।
3. पवन कुमार आ0 राधेश्याम पारेता हाउस नं0 290 विनोबा भावे नगर कोटा 324005 पार्टनर मैसर्स श्रीनाथ फुडस मकान नं0 140 एग्रो फूड पार्क रानपुर इण्ड0 एरिया, कोटा

गैर सायल...............

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित– 1– पेरोकार सरकार
2– गैर सायल स्वंय

दिनांकः– 26.07.18

–: आदेश :–

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 24.06.17 को समय दोपहर 3.00 बजे मय टीम के मैसर्स भुवनेश प्रोविजन एण्ड कोल्डडिंक्स रायपुर पर निरीक्षण के लिये पहूँचा, वहॉ पर भुवेनेश पोरवाल खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) का विकय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया–निरीक्षण करने पर पाया गया कि आप जनतो को विकय हेतु खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) प्लास्टिक बोतल 1 लीटर बेच नं0 012पेकड ऑन 02.02.17 बेस्ट बिफोर विध इन सिक्स मनथ की 12–12 बोटल्स के गत्ता पैक कार्टून में 300 कार्टुन उक्त ब्राण्ड पेकेज ड्रिंकिग वाटर की बोतलस 3600 जो कि गोदाम में रखी हुई थी जो आम जनता को बेचान की जा रही थी, जिसमें मिलावट का संदेह होने पर 16 मूल बोतलस उक्त ब्राण्ड खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड)को वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को 320/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है–मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे भुवनेश पोरवाल विक्रेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) को प्रत्येक पर लेबल चिपकायें व खाध पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी–852 नमूना लेने की दिनांक ,स्थान दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी–852 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान

कृ0प0उ0

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

(2)

ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये,फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्रीमति गायत्री देवी च.श्रे.कर्म. के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/313–15 दिनांक 04.07.17 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशेलेषक, कोटा राजस्थान से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 11.07.17 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाई गई हैं। जिसकी सूचना गैर सायलान को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जॉच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरूद्व कोई अपील प्राप्त नही हुई,जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र क्रमांक 81 दिनांक 04.05.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त केस में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया । गैर सायल द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर अपनी मोखित बहस में अनुरोध किया गया कि पानी की बोतल पर जो लेबलिंग केपिटल में होनी चाहिये थी वह स्माल में हो जाने के कारण एनालिस्ट द्वारा जॉच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड बताई गई है भविष्य में ध्यान रखा जावेगा कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायल से अवमानक खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तोजन भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये हे। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है।

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्यो से होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ पेकेजड ड्रिंकिग वाटर (लिप्सी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है, गैर सायलान का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुऐ गैर सायल नं0 1 को 5000/– व गैर सायलान नं0 2,3 शंकरलाल, पवन कुमार, पार्टन मैसर्स श्रीनार्थ फूड्स कोटा को 5000/-- अक्षरे पॉच हजार रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामचरण शर्मा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)